दिनांक 11 एवं 12–सितम्बर, 2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 3164/110/तीन/97–VII दिनांक 05–09–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 11, 12–सितम्बर,2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सिविल–इंजीनियर (सी.एल.टी.सी.) के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत समूह गठन में 08 शहरों यथा महमूदाबाद–सीतापुर, मुबारकपुर–आजमगढ़, तिलहर–शाहजहॉपुर, कोसी कला–मथुरा, छिबरामऊ–कन्नौज, कालपी–जालौन, कोंच–जालौन, एवं उझानी–बदायूँ की प्रगति शून्य पायी गयी तथा इलाहाबाद, हरदोई, मऊ, बलरामपुर, शाहाबाद, सन्डीला–हरदोई, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी, मवाना–मेरठ, कानपुर नगर, उरई–जालौन एवं महोबा की प्रगति अत्यन्त धीमी (50% से कम) पाये जाने पर सभी परियोजना अधिकारियों एवं शहर मिशन प्रबन्धकों को निर्देशित किया गया कि सितम्बर, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय। उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत गठित समूहों, ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि सभी शहर इस घटक के अन्तर्गत अर्ह समूहों को तत्काल रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त करें। यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को जोड़ा जाये।

स्वयं सहायता समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों के संबंध में निर्देशित किया गया कि इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–776/241/NULM/Teen/2001/SM&ID-III दिनांक 18.05.2018 के द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा नगरीय निकायों में गठित सभी समूहों को आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्ध किया जाय तथा आय सृजनात्मक कार्य कर रहे समूहों को तत्काल सी0एल0सी0 से सम्बद्ध कर उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन कराना सुनिश्चित किया जाय। आय सृजनात्मक कार्यों से सम्बद्धता के संबंध में निर्देश दिये गये कि जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" की उत्पादन हेतु समूहों को प्रोत्साहित करते हुए स्वयं सहायता समूहों को सम्बद्ध किया जाय तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को सुचारु रुप से गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में संचालन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढ़ंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। CLC में पंजीकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के साथ ही अन्य सभी कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कामगारों को भी पंजीकृत किया जाय, प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिक्री कराना सुनिश्चित करें। सी0एल0सी0 में शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दिये जाने हेतु योजना के दिशा निर्देश संबंधित विभागों से/विभागों की वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा जाए तथा समूह की महिलाओं को बैंक लिंकेज एवं आय सृजनात्मक कार्यों हेतु तकनीकी सहायता भी दी जाए।

अवगत कराया गया कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी **"स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड"** की विस्तृत गाइडलाइन पत्र सं0–K-12012(6)/2/2018(E-9045646) दिनांक 23.08.2018 के द्वारा निर्गत की गई है जो सूडा वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या–3375/241/NULM/Teen/2017-ALF Award दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से शहरों को भी प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ए0एल0एफ, सी0एल0एफ0 के साथ ही नगरीय निकायों हेतु "स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड" दिये जाने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत है:–

1. सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड – नगरीय निकायों हेतु।
2. स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार एरिया लेवल फेडरेशन्स(ALF) – ALF हेतु।
3. स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड फार सिटी लेवल फेडरेशन्स(CLF) – CLF हेतु।

उक्त अवार्ड ULB एवं ALF/CLF द्वारा स्वच्छता एवं सफाई के क्षेत्र में किये गये/किये जा रहे उत्कृष्ठ कार्यो हेतु किया गया है तथा नगरीय निकायों द्वारा SHG, ALF, एवं CLF के माध्यम से पहल कर स्वच्छता, सफाई (सफाई कर्मचारियों हेतु कौशल प्रशिक्षण) एवं कूड़ा कचरा निस्तारण आदि के क्षेत्रों के साथ ही अन्य अभिनवी माध्यम से आजीविका का सृजन कर लोगों को लाभान्वित किया है/कर रहे हैं के उत्कृष्ठ एवं अभिनवी प्रयासों को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित किये जाने हेतु किया गया है। सभी को निर्देशित किया गया कि गाइडलाइन का अध्ययन कर ALF एवं CLF के आवेदन निर्धारित समय–सीमा में निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत करें तथा ULB आवेदन का सीधे भारत सरकार को कराए।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी शहरी निकायों में शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण का कार्य गिरी विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश में थर्ड पार्टी सर्वे में पाये गये निकायवार आकड़े जिलों को इस कार्यालय के पत्र सं0–1863/241/NULM/तीन /2001(SUH)SLMC दिनांक 07.07.2018 के द्वारा भेज दिया गया है। इस प्रकार निकायों में पाये गये शहरी बेघरों की संख्या को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान में आश्रय की उपलब्धता के अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन कर आश्रय गृह निर्माण हेतु गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में भूमि का चिन्हीकरण कराते हुए सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से डी0पी0आर0 तैयार कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ ही थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में पाये गये शहरी बेघरों को उपलब्ध कराये जाने हेतु नगरीय निकायों से समन्वय कर संलग्न प्रारुप में 30 सितम्बर तक कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त संबंध में यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय में विगत 07.09.2018 को सुनवाई के दौरान शहरी बेघरों को आश्रय की उपलब्धता हेतु तत्काल रोड मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है, जिसके लिए आवश्यक है कि सभी शहर थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के आंकड़ों का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्ययोजना उपलब्ध कराये।

संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन नगरीय निकायों के माध्यम से फिलहाल तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाये। शेल्टर संचालन हेतु ई–निविदा के माध्यम से एजेन्सी चयन प्रक्रियाधीन है। चयन की कार्यवाही पूर्ण होते ही एजेन्सी को शेल्टर होम के संचालन हेतु निकायों को संदर्भित किया जायेगा।

प्रदेश के शहरों में संचालित सभी (DAY-NULM एवं NON DAY-NULM) शेल्टर्स में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुसार सभी आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें सुनिश्चित करा दी जायें तथा शहरों में खुले में सो रहे शहरी बेघरों को आश्रय गृहों में मोबिलाइजेशन के माध्यम से शेल्टर में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

EST&P- घटक के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पूर्व में घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट पाये सभी लाभार्थियों की सुचारू रूप से ट्रैकिंग करके आख्या उपलब्ध करायी जाय। ट्रैकिंग में लाभार्थी से वार्ता एवं

भौतिक सत्यापन भी किया जाय। इस सम्बन्ध मे यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणः–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल रुप से एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी शहरें से अपेक्षित है कि शीघ्र ही एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर) एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07.2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241/NULM/ Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में 20.09.2018 तक सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं को कार्यादेश जारी किये जाये और यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.09.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के विरूद्ध योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.09.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विक्रेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06. 2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्यः–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर (शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल),

बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया) में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विक्रेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों बुलन्दशहर, ललितपुर, मेरठ (मवाना), सहारनपुर, अमेठी (गौरीगंज), बाराबंकी (नवाबगंज) एवं कौशाम्बी (मंझनपुर) द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई। SEP-I के अन्तर्गत जनपद सम्भल, बदायूँ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद (लोनी), आगरा, फिरोजाबाद, शामली, बिजनौर, अमरोहा, औरैया, चित्रकूट, हापुड़, मथुरा, रामपुर, एटा, पीलीभीत, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानुपर देहात, झांसी, इटावा, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, बांदा, मैनपुरी, कन्नौज, कासगंज, हाथरस, शाहजहॉपुर, प्रतापगढ़, सन्तकबीरनगर (खलीलाबाद), बहराइच, आजमगढ़, उन्नाव, महाराजगंज, बस्ती, चन्दौली, रायबरेली, गोण्डा, सोनभद्र (राबर्टसगंज), वाराणसी, लखनऊ, मऊ, लखीमपुर खीरी, बलिया, इलाहाबाद, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, जौनपुर, सुलतानपुर, बरेली, बलरामपुर, श्रावस्ती (भिन्गा), हरदोई, शाहजहॉपुर, अम्बेडकर नगर एवं कुशीनगर (पडरौना) के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह सितम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जनपद यथा फर्रुखाबाद, जालौन (उरई), महोबा, हमीरपुर, बागपत एवं बड़ौत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, हापुड़, कासगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, सम्भल (चन्दौसी), फैजाबाद, सीतापुर, फतेहपुर, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी (नवाबगंज), भदोही (ज्ञानपुर), चन्दौली, श्रावस्ती (भिन्गा), सिद्धार्थनगर, उन्नाव एवं गाजियाबाद (मोदीनगर) जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद अमरोहा, झांसी, सम्भल, मेरठ, मथुरा, रामपुर, शाहजहॉपुर, बरेली, आगरा, हरदोई, मऊ, मिर्जापुर, रायबरेली एवं इलाहाबाद द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह सितम्बर, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी। जनपद यथा फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद को विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा मे लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायें अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अम्ल में लायी जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत जनपदों यथा अमरोहा, बदायूँ, चित्रकूट, इटावा, गौतमबुद्ध नगर (दादरी), कानपुर देहात, मेरठ, पीलीभीत, सहारनपुर, सम्भल, चन्दौली, लखीमपरु खीरी, बलरामपुर, सोनभद्र (रार्बटसगंज), बहराइच, सन्तकबीरनगर (खलीलाबाद), श्रावस्ती (भिन्गा), सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद यथा आगरा, बुलन्दशहर, औरैया, हापुड़, अमरोहा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, झांसी, कानपुर नगर, अलीगढ़, कासगंज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मथुरा, उन्नाव, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, गोण्डा, वाराणसी, बरेली, महाराजगंज, रायबरेली, आजमगढ़, सुलतानपुर, मिर्जापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी (नवाबगंज), फैजाबाद, बलिया, गाजियाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर एवं गोरखपुर जनपदों द्वारा द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह अगस्त, 2018 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

SEP-G तथा SHG-Bank Linkage का लक्ष्य दिनांक 30.09.2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में शहर मिशन प्रबन्धकों की आबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक व्यक्तिगत समूह तथा एस0एच0जी0 बैंक लिकेंज में लक्ष्यों की प्रगति शून्य है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	SEP(G)	SHG Bank Linkage
1.	औरैया, बागपत, बड़ौत, बदायूँ, एटा, इटावा, प्रतापगढ़, सन्तकबीरनगर (खलीलाबाद), सोनभद्र (रार्बटसगंज), सुलतानपुर एवं वाराणसी।	बागपत, बड़ौत, बांदा, बिजनौर, हमीरपरु, हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, महोबा, शाहजहॉपुर
2.	फर्रुखाबाद, हमीरपरु, फिरोजाबाद (शिकोहाबाद), गौतमबुद्ध नगर (दादरी), हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, कानपुर देहात	शामली, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बस्ती, भदोही, गाजीपुर
3.	ललितपुर, महोबा, शामली, अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया	देवरिया, गाजीपुर, कौशाम्बी (मंझनपुर)
4.	गाजीपुर, भदोही, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी (मंझनपुर), कुशीनगर (पडरौना), लखीमपरु, महाराजगंज,	कुशीनगर (पडरौना)

उपरोक्त जनपदों की प्रगति शून्य होने की दशा में निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि अगस्त तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह सितम्बर, 2018 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

जनपद यथा आगरा, अमरोहा, बदायूँ, बांदा, बरेली, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, दादरी, गाजियाबाद, कानपुर नगर, उरई, ललितपुर, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहॉपुर, इलाहाबाद, बहराइच, चन्दौली, लखनऊ, हरदोई, लखीमपरु, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, पड़रौना, गोण्डा, सीतापुर एवं वाराणसी जनपदों में Subsidy हेतु रु0 25.90 लाख से रु0 9.05 लाख तक की राशि जनपद स्तर पर लम्बे समय से उपलब्ध है, जिसको परीक्षणोपरान्त लाभार्थियों के ऋण खातें में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करें।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- जनपद लखनऊ के सुश्री अंकिता मिश्रा, शहर मिशन प्रबन्धक दिनांक 12.09.2018 को बैठक में अनुपस्थित होने के कारण तथा जनपद मुजफ्फरनगर के श्री अमित आत्रे एवं जनपद मथुरा के श्री मनोज कुमार सिंह, शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा दिनांक 11.09.2018 को बैठक में अनुपस्थित होने के कारण माह सितम्बर, 2018 के एक (01) दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

- समीक्षा बैठक में जनपद लोनी (गाजियाबाद) के श्री विनीत कुमार पाण्डेय, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के घटक SEP में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने तथा जनपद आजमगढ़ के श्री गोपाल राम, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति ना करने पाने की दशा में इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है। श्री गोपाल राम, शहर मिशन प्रबन्धक को प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु निर्देश दिये गये है।
- समीक्षा बैठक में जनपद रायबरेली के श्री अमरेन्द्र कुमार आनन्द, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की दशा में इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।

MIS– दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2018 को आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान DAY-NULM (MIS) अधिकांश शहरों का पूर्ण ना होने पर अपर निदेशक महोदय द्वारा गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया साथ ही आधार सीडिंग 100% (2017–18)एवं (2018–19) ना होने पर भी रोष व्यक्त किया गया है। सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि आगामी समीक्षा बैठक में आने से पहले समस्त शहर अपने शहर की प्रगति को तथा आधार सीडिंग को शत प्रतिशत MIS पर परिलक्षित करेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 में यदि लाभार्थी का नाम नहीं है परन्तु उसका जियो टैग कर दिया गया है, ऐसे जनपदों/निकायों में सम्बन्धित कन्सलटेन्ट इसका सुधार करें एवं पात्र एवं अपात्र दोनों लाभार्थियों की सूची तत्काल परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान Payment By Higher Agency के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो से अभी तक नयी डी0पी0आर0 मुख्यालय को उपलब्ध नही करायी है वे आगामी तीन दिवस में जिलाधिकारी/अध्यक्ष से डी0पी0आर0 हस्ताक्षरित कराते हुए विशेष वाहक द्वारा मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत **ऊषा स्लम सर्वे** का डाटा जो कि सम्बन्धित पोर्टल एवं सूडा की वेब–साइट पर भी उपलब्ध है, का उपयोग पात्र लाभार्थी चयन हेतु किया जा सकता है।
5. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
6. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि यदि पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में अंकित लाभार्थी अपात्र की श्रेणी में है तो उसके स्थान पर पात्र लाभार्थी एवं अन्य पात्र लाभार्थी का चयन करते हुये प्रोजेक्टवार/निकायवार कर्टेलमेंट करते हुये संशोधित 7C या 7D एक सप्ताह में तैयार कर जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्धारित प्रारूप पर अपात्र लाभार्थियों की सूची भी प्रेषित की जाये इसके अतिरिक्त अभ्यर्पित आवासों का परियोजनावार विवरण भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में सूडा मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि माह फरवरी, 2019 तक 2.00 लाख आवासों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके दृष्टिगत प्रत्येक माह लगभग 40,000 लाभार्थियों को अन्तिम किश्त अवमुक्त करते हुए आवासों को पूर्ण कराया जाना है। अतः जिन लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है, उनका आवास पूर्ण करवाते हुए नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है।

8. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
9. योजनान्तर्गत जो धनराशि अवमुक्त की गयी है उसके ब्याज की धनराशि बैंको में सुरक्षित रखे तथा इसका लेखा–जोखा अलग से तैयार करें।
10. समीक्षा बैठक में कई जनपदों के परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित कन्सलटेन्टस द्वारा उनके जनपद में पर्याप्त स्टाफ नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायें।
11. समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि जितने लाभार्थियों का जियो टैग हो चुका है उनकी पत्रावली तीन दिवस के अन्दर सम्बधित परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे लाभार्थी को प्रथम किस्त का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।
12. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0/सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
13. समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि यदि किसी जनपद में संस्था (HFA-POA)वाले डाटा–वैलिडेशन का कार्य शीघ्र नहीं कर पा रहे तो परियोजना अधिकारी अपने स्तर से कार्य पूर्ण कराकर मुख्यालय को सूचित करते हुये वांछित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित संस्था से प्राप्त करें।
14. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल एजेंसी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहॉ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहॉ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
15. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।
16. निर्देशित किया गया कि किसी भी कन्सलटेन्टस (HFA-POA/DPRPMC) द्वारा कोई भी लाभार्थी निरस्त/अपात्र नहीं किए जायेगें, बल्कि निरस्त/अपात्र किये जाने वाले लाभार्थियों की सूची कारण सहित परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें जिसे परियोजना अधिकारी अपने स्तर से जांच कराते हुए पात्र/अपात्र लाभार्थियों का निर्धारण करते हुये अन्तिम सूची तैयार करायेंगें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को एक माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है उनकी यू0सी0/निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट,फोटोग्राफ आदि सभी कागजात एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों ने अभी तक अभिकरण मुख्यालय को नहीं उपलब्ध करायी है वे एक सप्ताह में डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित जनपद की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक के अवसर पर निदेशक महोदय के स्तर से निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो संबंधित विभाग को आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉ अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

20/9/18

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–3596 **/110/तीन/97 Vol-VII** **दिनांक–** 20/09/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

20/9/18

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक